

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 32/2016

दायर तारीख : 23.12.2016



1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

— प्रार्थी

बनाम

1. बोदूराम पुत्र लादा वगैरह जाति गुर्जर
2. साधूराम पुत्र रामनाथ वगैरह जाति अहीर
3. मैसर्स इमरजेन्ट बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड 11 फ्लोर डीसीएम बिल्डर्स दिल्ली कनाट दिल्ली।
4. धूणाराम पुत्र प्रभूदयाल वगैरह जाति महाजन
5. मालाराम पुत्र प्रभूराम वगैरह जाति महाजन
6. भीमसिंह भाटी पुत्र सुनहरी सिंह वगैरह
7. सुण्डाराम पुत्र प्रभूराम वगैरह जाति महाजन
8. छीतरमल पुत्र सेडूराम वगैरह जाति धानका
9. राजकीय प्राथमिक शाला सीतापुर वगैरह
10. प्रभुदयाल पुत्र देबू वगैरह जाति राजपूत
11. चौथूराम पुत्र सेडूराम वगैरह जाति अहीर

समस्त निवासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।


— अप्रार्थीगण

उपस्थित : — पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय


दिनांक :- 08.07.2020

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल ढाणी गैसकान में स्थित खसरा नंबर 3877/1.67, 3878/0.38 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम, खसरा नंबर 3884/1/0.3850 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम, खसरा नंबर 3884/0.3950 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 3 के नाम, खसरा नंबर 3894/0.21, 3897/0.70, 3898/0.33 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 4 के नाम, खसरा नंबर 3895/0.19 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 5 के नाम, खसरा नंबर 3922/1.00, 3923/0.36 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 6 के नाम, खसरा नंबर 3924/0.53 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 7 के नाम, खसरा नंबर 3926/0.24 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 8 के नाम, खसरा


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नंबर 3929/0.19 हैक्टैयर अप्रार्थीगण संख्या 9 के नाम, खसरा नंबर 3928/0.40 हैक्टैयर अप्रार्थीगण संख्या 10 के नाम एवं खसरा नंबर 3938/0.34, 3937/1.22, 3941/0.51, 3934/0.06, 3932/0.19, 3933/0.25 हैक्टैयर अप्रार्थीगण संख्या 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070-2073 है। आराजी मुतनाजा 3877/1.67 में से 0.0960, 3878/0.38 में से 0.3, 3884/1/0.3850 में से 0.03, 3884/0.3950 में से 0.03, 3894/0.21 में से 0.0360, 3897/0.70 में से 0.0240, 3898/0.33 में से 0.0756, 3895/0.19 में से 0.0240, 3922/1.00 में से 0.0060, 3923/0.36 में से 0.0240, 3924/0.53 में से 0.0360, 3926/0.24 में से 0.0360, 3929/0.19 में से 0.0120, 3928/0.40 में से 0.0120, 3938/0.34 में से 0.0720, 3937/1.22 में से 0.0552, 3941/0.51 में से 0.01, 3934/0.06 में से 0.0192, 3932/0.19 में से 0.0180, 3933/0.25 में से 0.0072 हैक्टैयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार ग्राम भाबरू से लुहाकना डामर सड़क तक कच्चे आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। रास्ते पर डामर सड़क बनी हुई है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भूअभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, दैनिक डायरी, गिरदावरी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 20 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 22 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 29 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 45 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 52 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 55 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 56 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 76 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 79 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 107 संवत् 2070-2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 65 संवत् 2070-2073 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर



उपस्थित अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंबर 3877/1.67 में से 0.0960, 3878/0.38 में से 0.3, 3884/1/0.3850 में से 0.03, 3884/0.3950 में से 0.03, 3894/0.21 में से 0.0360, 3897/0.70 में से 0.0240, 3898/0.33 में से 0.0756, 3895/0.19 में से 0.0240, 3922/1.00 में से 0.0060, 3923/0.36 में से 0.0240, 3924/0.53 में से 0.0360, 3926/0.24 में से 0.0360, 3929/0.19 में से 0.0120, 3928/0.40 में से 0.0120, 3938/0.34 में से 0.0720, 3937/1.22 में से 0.0552, 3941/0.51 में से 0.01, 3934/0.06 में से 0.0192, 3932/0.19 में से 0.0180, 3933/0.25 में से 0.0072 हैक्टियर भूमि सड़क/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सड़क/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः खसरा नंबर 3877/1.67 में से 0.0960, 3878/0.38 में से 0.3, 3884/1/0.3850 में से 0.03, 3884/0.3950 में से 0.03, 3894/0.21 में से 0.0360, 3897/0.70 में से 0.0240, 3898/0.33 में से 0.0756, 3895/0.19 में से 0.0240, 3922/1.00 में से 0.0060, 3923/0.36 में से 0.0240, 3924/0.53 में से 0.0360, 3926/0.24 में से 0.0360, 3929/0.19 में से 0.0120, 3928/0.40 में से 0.0120, 3938/0.34 में से 0.0720, 3937/1.22 में से 0.0552, 3941/0.51 में से 0.01, 3934/0.06 में से 0.0192, 3932/0.19 में से 0.0180, 3933/0.25 में से 0.0072 हैक्टियर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल ढाणी गैसकान में स्थित खसरा नंबर 3877/1.67 में से 0.0960, 3878/0.38 में से 0.3, 3884/1/0.


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)



3850 में से 0.03, 3884/0.3950 में से 0.03, 3894/0.21 में से 0.0360, 3897/0.70 में से 0.0240, 3898/0.33 में से 0.0756, 3895/0.19 में से 0.0240, 3922/1.00 में से 0.0060, 3923/0.36 में से 0.0240, 3924/0.53 में से 0.0360, 3926/0.24 में से 0.0360, 3929/0.19 में से 0.0120, 3928/0.40 में से 0.0120, 3938/0.34 में से 0.0720, 3937/1.22 में से 0.0552, 3941/0.51 में से 0.01, 3934/0.06 में से 0.0192, 3932/0.19 में से 0.0180, 3933/0.25 में से 0.0072 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 08.07.2020 को सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)